बिहार सरकार
वित्त विभाग
आदेश

विषयः– बिहार अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारियों हेतु iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य प्रशिक्षण ।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि हेतु तथा " मिशन कर्मयोगी " के उद्देश्यों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि बिहार अंकेक्षण सेवा के सभी अधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संपादन अनिवार्य किया जाए ।

1. प्रयोज्यता

यह आदेश बिहार अंकेक्षण सेवा के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर लागू होगा जिनमें परिवीक्षाधीन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी भी सम्मिलित होंगे ।

2. पंजीकरण

जिन अधिकारियों ने अभी तक iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07(सात) दिनों के भीतर अपने आधिकारिक ई–मेल/कर्मचारी आईडी के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे ।

3. अनिवार्य पाठ्यक्रम

निम्नलिखित पाठयक्रमों का संपादन अनिवार्य होगा –

(i) मिशन कर्मयागी अंतर्गत आधारभूत (Foundational) पाठ्यक्रम ;

(ii) कम्प्यूटर प्रणाली– सैद्धान्तिक, भारत का संविधान, परिनियम (स्टैट्यूट) और सेवा विनियमावली, प्रारम्भिक लागत (कास्टिंग) के साथ वित्तीय लेखा, लोक लेखा कार्य, वित्तीय नियमावली और सरकारी लेखा सिद्धान्त, सरकारी अंकेक्षण, सांख्यिकी और सांख्यिकीय प्रतिचयन (सैंपलिग), सरकारी अंकेक्षण, बिहार वित्तीय नियम, कार्यालय प्रक्रिया एवं ई–ऑफिस से संबंधित पाठ्य;

(iii) वित्त विभाग, अंकेक्षण निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट अन्य पाठ्यक्रम ।

4. समय–सीमा

(i) कम से कम तीन पाठ्यक्रमों का संपादन अप्रैल 2026 तक किया जाएगा ।

(ii) इसके पश्चात प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 52(बावन) घंटे का ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5. अनुश्रवण एवं अनुपालन

(i) संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

(ii) निदेशक/प्रमंडलीय प्रभारी अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने की सुनिश्चितता करेंगे ।

(iii) पूर्ण किए गए प्रशिक्षणों का विवरण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR)/कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सम्मिलित की जाएगी तथा इसके आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे ।

6. अनुपालन नहीं करने की स्थिति

निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूर्ण न करने पर, बिना उचित कारण के , संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है तथा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण अथवा अन्य कैरियर उन्नयन अवसरों में इसे विचाराधीन रखा जा सकता है ।

7. नोडल पदाधिकारी

श्री चन्द्र प्रकाश, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय स्तर स्तर पर iGOT कर्मयोगी पोर्टल हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है । तकनीकी सहयोग हेतु श्रीमती झुम्पा सिन्हा (मो0 नं0–8114593955) आई0टी0 प्रबंधक, वित्त विभाग को नामित किया गया है ।

ह0/–

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(विविध)–07/2026..3258**......../वि०, पटना, दिनांक–**08/04/2026

प्रतिलिपिः–उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, पटना प्रमंडल, पटना/उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग कोशी प्रमंडल, सहरसा/उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/उप निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, मगध प्रमंडल, गया/सहायक निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/सहायक निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, सारण प्रमंडल, छपरा/सहायक निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RMandal
07-04-2026

सरकार के अवर सचिव।